

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि०
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 2- उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि०,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 03 दिसम्बर, 2010

विषय:- वर्ष 2010-11 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को कम्बल आवंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2010-11 में उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, लखनऊ के प्रस्ताव संख्या-213/यू०पी०एच०एल०/लखनऊ/10-11, दिनांक 04.10.2010 एवं उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि०, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के प्रस्ताव संख्या-163/क्षे०का० लखनऊ, दिनांक 04.10.2010 के अनुसार क्रय कर निःशुल्क कम्बल वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्यपाल महोदय 1000 कम्बल प्रति तहसील की दर से आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि०, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

मानक:-

- 2- आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की मानक लम्बाई कम से कम 235 से०मी०, चौड़ाई कम से कम 140 से०मी० तथा वजन कम से कम 2.2 किलोग्राम होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
- 3- उक्त इंगित गुणवत्ता का कम्बल जनपद मुख्यालय पर पहुंचाने का मार्ग व्यय संबंधित संस्था द्वारा ही वहन किया जायेगा।

4- उक्त संस्था निर्धारित संख्या/निर्धारित समय में कम्बल की आपूर्ति नहीं कर पाती है तो उसका आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। मानक के अनुसार कम्बलों की आपूर्ति न होने की दशा में संबंधित संस्था के प्रबन्ध निदेशक उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त संस्थाओं को इस आशय का टैग लगाना होगा, जिस पर संबंधित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री योग्य नहीं है।

6- कम्बल की आपूर्ति की सूचना एवं बिल इत्यादि प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि०, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि०, लखनऊ द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(1)(क)-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि०, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, प्रदेश के झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट धाम, मिर्जापुर, आजमगढ़ बस्ती देवीपाटन मण्डल में कम्बलों की आपूर्ति जनपद मुख्यालय पर 15 दिन में करना सुनिश्चित करेंगे।

(ख)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि० लखनऊ, प्रदेश के फैजाबाद, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं कानपुर मण्डल में कम्बलों की आपूर्ति जनपद मुख्यालय पर 15 दिन में करना सुनिश्चित करेंगे।

जनपद स्तरीय वितरण/सत्यापन व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

1- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कम्बल का जिलाधिकारी द्वारा एक-एक मानक सैम्पल मुख्यालय पर रखा जायेगा, जिसका वितरण कदापि नहीं किया जायेगा ताकि कम्बल की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि निम्न गुणवत्ता के कम्बल पाये जाते हैं तो संबंधित संस्था के प्रबन्ध निदेशक को सूचित किया जायेगा और उनके बदलने के बाद ही कम्बलों का वितरण सुनिश्चित की जायेगी। यदि शिकायत प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर कम्बलों को बदलकर मानकों के अनुरूप आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उतनी धनराशि की कटौती कर ली जायेगी। आवश्यकता होने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है।

आपूर्ति कम्बल की संख्या एवं गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र संबंधित जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2- निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्याधिक ठंड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाये जरूरत मन्द व्यक्तियों को समय से यह सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु यह सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके।

3- निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिये वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार, व अत्याधिक वृद्ध जनों को दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्प संख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरुष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 तक चिन्हित कर लिया जाय ताकि दिनांक 25 दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त कम्बलों को कैम्प लगाकर वितरित करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि लगभग प्रत्येक ग्रामों में निर्धनतम व्यक्तियों को कम्बल अवश्य वितरित हो जाय। उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हीकरण एक सप्ताह में कर लिया जाय। कम्बल वितरण के समय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय तथा व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय।

(क) उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(ख) लाभार्थियों का विवरण जनपद स्तर पर रखा जाय तथा उसे जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

(ग) संस्थाओं द्वारा की गयी कम्बल आपूर्ति का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जाय।

(घ) व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

के०के० सिन्हा

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या - 3834(1)/1-10-2010-12(34)/2003, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा)/महालेखाकार(आडिट)प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, बापू भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 7- समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 8- चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
- 9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।